कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-03/2024 **दिनांक 28/04//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 27.04.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01- स्वाट/सर्विलांस व जंगीपुर पुलिस टीम के द्वारा बड़ी सफलता,अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ(हेरोइन)की अवैध तस्करी करने वाले 01 नफर अभियुक्त को 525 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये है) के साथ किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत् अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 26.04.2024 को स्वाट/सर्विलांस व थाना जंगीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ (हेरोइन) की अवैध तस्करी करने वाले सदस्य के 01 नफर अभियुक्त सैफुद्दीन उर्फ सर्फुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन निवासी रुही मण्डी थाना कोतवाली गाजीपुर को 525 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये है) के साथ रामपुर जीवन नदी पुलिया थाना जंगीपुर के पास से समय करीब 22.15 बजे गिरफ्तार किया गया। हेरोइन की अवैध तस्करी करने वाले गिरफ्तारशुदा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 43/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि पहले मैं अभय कश्यप के साथ मिलकर काम करता था उसके जेल जाने के बाद मेरा सीधा सम्बन्ध उसके पार्टी से हो गया फिर मैं उन पार्टियों से मिल कर माल लेकर राजस्थान,बनारस व अगल बगल के अन्य जिलों में माल तस्करी करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.सैफुद्दीन उर्फ सर्फुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन नि0 रुही मण्डी थाना कोतवाली गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं043/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जंगीपुर, गाजीपुर।

2. मु0अ0स0 378/2000 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर

3. मु अ स 1179/2000 धारा 03(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली गाज़ीपुर

बरामदगी-

525 ग्राम नाजायज मादक पदार्थ हेरोइन (अन्तराष्ट्रीय बाजार मे अनुमानित कीमत करीब 01 करोड रू0)

एक अदद मोपेड UP61AE6154

02. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में 02 नफर अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोर बरामद।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 21.04.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/24 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को आज दिनांक 27.04.2024 को चौकिया तिराहा पर चेकिंग के दौरान घटना मे संलिप्त 02 व्यक्तियों अक्षय कुमार व छोटू कुमार को समय करीब 06.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अक्षय़ कुमार की जामा तलाशी से 01 अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोर, एक अदद मोटर साइकिल नं0 UP61BJ2059 काले रंग की अपाचे बरामद हुआ। जिसके आधार पर अभियोग मे धारा 34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाने द्वारा की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

पूछने पर अभियुक्त अक्षय कुमार द्वारा बताया गया कि मै और छोटू कुमार आपस मे अच्छे दोस्त है। कुछ दिन पहले छोटू कुमार ने कहा था कि बकराबाद के प्रधान संजय बिन्द हमारे गांव के प्रधान की मदद करते है जिससे हमारे गांव के प्रधान हमारे पिता के नाम पट्टे की जमीन खारिज कराने के लिए मुकदमा कर दिये है। इसलिये इनको रास्ते से हटाना है। तब से हम लोग संजय प्रधान के मारने के लिए योजना बनाये और संजय प्रधान आने जाने के रास्ते को पता करते रहे। जब दिनांक 21.04.2024 को पता चला कि संजय प्रधान खानपुर पोखरे के पास सतिमाता मंदिर पर किसी काम से गये है और वहां से मोटर साइकिल से निकल रहे है , तब हम लोग हाइवे से उतर कर जैसे ही पोखरे के पास पहुचे तो उस व्यक्ति को सतिमाता मंदिर की तरफ से पोखरा के कोने पर पहुचा तो उसे मै संजय प्रधान समक्ष कर अपने पास लिये पिस्टल से गोली मार दिया और हम दोनो लोग वहा से अपाचे मो0सा0 से भाग गये। दूसरे दिन हम लोगो को पता चला कि जिसे हम लोग गोली मारे थे वह संजय प्रधान नही थे बल्कि दूसरे संजय को गोली लगी थी। इस बात का समर्थन छोटू कुमार द्वारा भी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता तथा आपराधिक इतिहासः-

☐अक्षय कुमार पुत्र अमेरिका राम निवासी औरंगाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

1.मु0अ0सं0 175/24 धारा 307,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर।

2. मु0अ0सं0- 125/2023 धारा 307,323,324,325 भादवि थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर।

☐ छोटू कुमार पुत्र फूलचन्द राम निवासी ग्राम मुहाव थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष

1.मु0अ0सं0-175/2024 धारा 307,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर

03. थाना बिरनो पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवम अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्वेक्षण में दिनांक 27.04.2024 को उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र,व भ्रमण के दौरान मुखबीर की सूचना पर कबाड़ी की दुकान छोटी नहर के पास

बहद ग्राम बिरनों से अभियुक्त गुलशन चौहान पुत्र सीरी चौहान निवासी ग्राम सरदरपुर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर को एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रीम विधिक कार्यवाही संबन्धित थाने द्वारा की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

गुलशन चौहान पुत्र सीरी चौहान निवासी ग्राम सरदरपुर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर

बरामदगी

01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 22/23 धारा 380/457/311 भादवि थाना बिरनो जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 66/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिरनो गाजीपुर

04. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0स0 73/2024 धारा 419, 420,467,468,471,272 भा0द0वि0 व 60, 60(2)उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क / अबकारी अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों व मादक पदार्थ व अवैध शराब की खरीद फरोख्त व तस्करी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भुडकुड़ा के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.04.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/2024 धारा 419, 420,467,468,471,272 भा0द0वि0 व 60, 60(2) उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क / अबकारी अधिनियम में वांछित अभियुक्त रोशन लाल उर्फ धनन्जय पुत्र स्व0 योगेन्द्र यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष को उ0नि0 श्री लालता प्रसाद यादव व उ0नि0 श्री दयाशंकर सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर रजादी कट तिराहे से गिरफ्तार किया गया। जिसके अन्य दो साथी धनेश कुमार पुत्र श्री रामजन्म राम निवासी ग्राम भवानीपुर थाना रामपुर माँझा,गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष व रामशीष यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी मड़ई (हाला) थाना नन्दगंज, गाजीपुर उम्र करीब 38 वर्ष को कल दिनांक- 26.04.2024 को थाना नन्दगंज पुलिस व स्वाट टीम गाजीपुर द्वारा 2800 बोतल में कुछ 2150 लीटर अवैध शराब अंग्रेजी, यूरिया कुल 15 किग्रा0, फिटकरी 05 किग्रा0, 48 अदद रेपर व शराब बनाने के वाले पात्र जैसे दो केन एवं एक बाल्टी के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

अभियुक्त रोशन लाल उर्फ धनन्जय पुत्र स्व0 योगेन्द्र यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर से गहनता से पूछताछ किया गया तो बता रहा है कि अधिक पैसा कमाने के लिए मै तथा मेरे मेरे परिवार का रामशीष यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर जो शराब / वियर की दुकान पर सेलस मैन के रूप में काम करता है। जिसे शराब बनाने व उसे पैक करने के बारे में काफी अनुभव है जिस वजह से उसे साथ लेकर हम लोग अपने अन्य साथी धनेश कुमार पुत्र रामजनम राम निवासी ग्राम भवानीपुर थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर, अभिषेक यादव उर्फ मनोज यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी ग्राम वेदपुरवा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के साथ मिल कर मै अपने डेरे पर ही अपमिश्रित शराब तैयार कर बोतलों में भकर उस पर फर्जी रैपर लगाकर कार्टून में पैक करके उसे बिहार प्रान्त ले जाकर ऊंचे दाम में बेचकर मुनाफा कमाकर हम चारों लोग आपस में बराबर बराबर बाटकर अपना खर्चा चलाते है। दिनांक

26.04.2024 को भी हम लोग आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत अधिक धन कमाने के लालच में ये सब काम अपने साथियों के साथ मिल कर रहे है कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम व पता

रोशन लाल उर्फ धनन्जय पुत्र स्व0 योगेन्द्र यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- दिनांक 27.04.2024 समय 11.15

गिरफ्तारी का स्थान - रजादी कट तिराहा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

05. थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 086/2024 धारा 307/506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण की सफल गिरफ्तारी।

अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जमानिया के निकट पर्वेक्षण में दिनांक 24.03.2024 समय 19.00 बजे ग्राम नईबाजार उर्फ खरगशीपुर मे पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से चाकू से मारने – पीटने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना जमानियाँ मे पंजीकृत मु0अ0सं0 086/2024 धारा 307/506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. सजाऊद्दीन उर्फ सजाऊ पुत्र हेसामुद्दीन खान उम्र करीब 20 वर्ष 2. जुल्फेकार उर्फ लड्डन खाँ पुत्र एकलाख खान उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण ग्राम खरगशीपुर उर्फ नई बाजार थाना जमानियां जनपद गाजीपुर को आज दिनांक 27.04.2024 को समय 10.50 बजे उ0नि0 बालेन्द्र कुमार मय हमराह कर्मचारी गण द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. सजाऊद्दीन उर्फ सजाऊ पुत्र हेसामुद्दीन खान उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम खरगशीपुर उर्फ नई बाजार थाना जमानियां जनपद गाजीपुर
2. जुल्फेकार उर्फ लड्डन खाँ पुत्र एकलाख खान उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम खरगशीपुर उर्फ नई बाजार थाना जमानियां जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास–

मु0अ0सं0 86/2024 धारा 307/506 भादवि थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर